



रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-४

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-४१

(लाइसेन्सड टू पोस्ट डिवाउट प्रीपेमेंट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड(क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 अक्टूबर, 1986

अश्विन 16, 1908 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

[विधायी अनुभाग-1

संख्या 1807/सत्रह-वि-1-1(क)-24-1986

लखनऊ, 8 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मलिन वस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 7 अक्टूबर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मलिन वस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मलिन वस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन वस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 11 जून, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
18 सन् 1962  
की धारा 7 का  
शोधन

2--उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराओं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

“(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र देने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने का कोई आदेश संसूचित न किया जाय, वहां आवेदक लिखित संसूचना द्वारा इस चूक या उपेक्षा की ओर सक्षम प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसी चूक या उपेक्षा 30 दिन की अग्रतर अवधि तक बनी रहे तो यह समझा जायगा कि सक्षम प्राधिकारी ने, यथास्थिति, ऐसा निर्माण, विस्तार या परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे दी है।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नये भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई विस्तार किया गया हो, वहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, भवन के स्वामी पर आदेश तामील कर सकता है जिसमें उसे ऐसे भवन या विस्तार को, ऐसी अवधि के भीतर, जो एक मास से कम न हो, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, गिराने का निदेश दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि भवन के स्वामी को यह कारण बताने के लिये कि क्यों न आदेश दिया जाय, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा न देने के आदेश से या उपधारा (3) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से एक मास के भीतर उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) यदि भवन का स्वामी उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन भवन गिराने के लिये दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग करके, जैसा आवश्यक हो, ऐसे भवन या उसमें किये गये विस्तार को गिरा सकता है और गिराने का व्यय स्वामी से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकता है।”

धारा 17 का  
संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

“(1) (क) जहां सक्षम प्राधिकारी का ऐसी सूचना के आधार पर, जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भूमि या भवन या दोनों का अर्जन करना उस क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के संबंध में कोई सुधार कार्य करने या भवन गिराने के किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए या किसी निपातन क्षेत्र के पुनः विकास या मलिन बस्ती क्षेत्रों के निवासियों के पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये आवश्यक है, वहां वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि या भवन या दोनों का अर्जन करने का अपना अभिप्राय घोषित कर सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस जिसमें ऐसे समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने के लिये कि क्यों न इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये ऐसी नोटिस में निर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन कर लिया जाय :--

(एक) उस क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा, प्रकाशित करेगा ;

(दो) उस क्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर चिपकवायेगा ;

(तीन) भूमि या भवन के समस्त स्वामियों को और उसमें हितवद्ध अन्य व्यक्तियों को, जिनका नाम और पता सक्षम प्राधिकारी को ज्ञात हो या जिसे उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अभिनिश्चित किया जा सके, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्य प्रकार से भेजगा।”

उत्तर प्रदेश  
असाधारण  
गजट  
क्रमांक 8  
दिनांक 8  
अक्टूबर 1986

4 - (1) उत्तर प्रदेश मलिन वस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और  
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,  
श्रीनाथ सुहाय,  
सचिव।

No. 1807/XVII—V—1—1 (KA)—24-1986

Dated Lucknow, October 8, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Malin Basti Kshetra (Sudhar Aur Nipatan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 7, 1986.

**THE UTTAR PRADESH SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) (AMENDMENT) ACT, 1986**

[U. P. ACT NO. 23 OF 1986]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

furth<sup>r</sup> to amend the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) (Amendment) Act, 1986.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 11, 1986.

2. Section 7 of the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered the following sub-sections shall be inserted, namely :—

Amendment of section 7 of U. P. Act no. XVIII of 1962.

“(2) Where within the period of 90 days from the making of an application for permission under sub-section (1), no order is communicated, either granting or refusing the permission, the applicant may by written communication call the attention of the Competent Authority to the omission or neglect and if such omission or neglect continues for a further period of 30 days, the Competent Authority shall be deemed to have permitted such construction, extension or alteration, as the case may be.

(3) Where a new building has been constructed, or extension in an existing building has been made without the previous permission of the Competent Authority, he may notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, serve upon the owner of the building an order directing him to demolish such building or extension within such time not being less than one month, as may be specified in the order :

Provided that no such order shall be made unless the owner of the building has been given a reasonable opportunity to show cause why the order should not be made.

(4) Any person aggrieved by an order refusing permission, referred to in sub-section (1), or by an order under sub-section (3) may, within one month from the date of the order, prefer an appeal against the same to the State Government, whose decision shall be final.

(5) If the owner of the building fails to comply with an order for demolition made under sub-section (3) or sub-section (4), the Competent Authority may by using such minimum force as may be necessary demolish such building or extension and the costs of demolition may be recovered from the owner as arrears of land revenue."

Amendment of section 17.

3. In section 17 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) (a) Where the Competent Authority, on information received or otherwise in its possession, is satisfied that acquisition of any land or building or both in a slum area or in a clearance area is necessary for the purpose of executing any work of improvement in relation to any building or land or for carrying out any order of demolition of building in that area or for the purpose of re-development of any clearance area or rehabilitation of the residents of slum areas, it may, by notification in the official Gazette, declare its intention to acquire such land or building or both.

(b) The Competent Authority shall—

(i) publish in two daily newspapers circulating in the locality, of which at least one shall be in the regional language,

(ii) cause to be affixed at convenient places in the locality.

(iii) send by registered post or otherwise, to all owners of, and other persons interested in, the land or building, whose names and addresses are known to, or can reasonably be ascertained by, the Competent Authority,

a notice to show cause within such time as may be specified in the notice, why the land or building referred in such notice may not be acquired for the purposes of this Act."

Repeal and saving.

4. (1) The Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) (Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
S. N. SAHAY,  
Sachiv.

U. P.  
Ordinance  
no. 8 of  
1986